वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड,
क्षेत्रीय महाप्रबंधक कार्यालय,पाथाखेडा क्षेत्र,
तह-घोडाडोंगरी, जि: बैतूल- ४६०४४९
email:cgmpkda@rediffmail.com
Website : http://westerncoal.nic.in

Western Coalfields Limited,
Office of the Area General Manager,
Pathakhera Area – Th:Ghoradongri
Dist: Betul – 460 449
Ph. No: 07146 – 271363 [Fax:07146-270566]

Ref. No. WCL/PKD/ AGM/ SO (P&P) /2016/	Date: 10/11/2016

प्रति,

सहायक वन संरक्षक(भू–प्रबंध)
मध्य प्रदेश, भोपाल
<u>भोपाल</u>

विषयः– **<u>वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अंतर्गत आवेदक संस्थाओं द्वारा नोडल अधिकारी स्तर पर प्राप्त होने वाले ऑनलाईन प्रकरणों के संबध में – Tawa – UG Mine (25.866) WCL Pathakhera Area.</u>**

संदर्भ :– कमांक एफ–1/FP/MP/MIN/20919/2016/2275 भोपाल, दिनांकः 25 / 10 / 2016

महोदय,

उपरोक्त विषयार्तगत एवं संदर्भित पत्रानुसार Tawa – UG Mine, 25.866 हे. भूमि के तारतम्य में पाई गयी कमियां / त्रृटिया की पुर्ति कर बिन्दुवार जानकारी निम्नानुसार प्रेषित है।

क.	पाई गयी कमियां / त्रृटिया	आवश्यक संशोधन
1	अनु.क. A-3 (xvii) में संलग्न पत्र में वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अंतर्गत व्यपवर्तन की कार्यवाही हेतु अधिकृत किये गये अधिकारी का नाम पत्र में अंकित नहीं है।	अधिकृत किये गये अधिकारी का नाम पत्र में अंकित किया गया है।
2	अनु.क. B-2.4 मे Activity wise breakup नही दिया गया है, जैसे वन क्षेत्र में खनिज डम्प एरिया, कार्यालय भवन, वर्कशाप अन्य संरचनाअें के निर्माण का breakup नहीं दिया गया है। यदि उक्त कार्य गैर वन भूमि में प्रस्तावित है तो उसका breakup दिया जाना चाहिए।	25.866 हे. वन भूमि में केवल एक ही Activity भुमिगत खनन (underground mining) प्रस्तावित है। तवा–3 भुमिगत खदान में कुल 207.470 हे. लीज होल्ड क्षेत्र है, जिसमें वन भुमि–127.466 हे. तथा गैर वनभुमि–80.004 हे.। 127.466 हे. वनभुमि को दो भागों में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत आवेदित है – वर्तमान प्रस्ताव 25.866 हे. केवल खनन अधिकार तथा 101.600 हे. खनन एवं Surface Infrastructure (Infrastructure 4.74 हे + 96.86 हे = 101.600 हे) हेतू। इस खदान के कोयले के परिवहन के लिए प्रस्तावित गांधीग्राम भुमिगत खदान (जो खदान की सीमा से लगा हुवा है) का परिवहन का मार्ग का उपयोग किया जायेगा।
3	अनु.क. C9(ii)(a) में Patch wise details में KML फाईल अपलोड नहीं की गई है।	Patch wise details में KML फाईल अपलोड कर दी गई है।
4	अनु.क. C- (iv) में संलग्न जियो रिफरेंस मानचित्र 101.600+25.8666 कुल 127.466 हे. का एकजाई संलग्न किया हे। 25.866 हे. में आवेदित वन क्षेत्र की जी.पी.एस. रीडिंग दी गई है, परन्तु C-(ii)(a) में 2 दर्शाये गये पेच खुल नहीं रहे है तथा इन दोनों पैचेस जीओ रिंफरेंस मैप में अलग–अलग रंगों से दर्शाया नही गया है। जिओ रिफरेंस मैप प्रत्येक प्रस्ताव में लेख किये गये अलग–2 रकबे का ही दिया जाना चाहिये, जिससे कि भ्रम उत्पन्न न हो।	25.866 हे. तथा 101.600 हे. एक ही खदान, तवा–3 के दो भाग है परंतु इसका CBA (A&D) Act 1957 के तहत नोटिफीकेशन दो भागों में किया गया है। भ्रम की स्थिती को समाप्त करने के लिए दोनों भागों (101.600+25.8666 कुल 127.466 हे.) को एक ही प्लान में दर्शाया गया है, अन्यथा अन्य संबधित गतिविधियों जैसे डम्प एरिया, कार्यालय भवन, वर्कशाप अन्य संरचनाओं को दर्शाना कठिन हो जायेगा।

5	अनु.क. G-(i) में Cost-Benefit analysis में No लेख है, जबकि आवेदित वन क्षेत्र रकबा 25.866 हे है। भारत सरकार द्वारा 20.00 हे. से अधिक के व्यपवर्तन के प्रकरणों में निर्धारित किये गये प्रपत्र में Cost-Benefit analysis दिया जाना आवश्यक है।	Cost-Benefit analysis संलग्न कर दिया गया है।
6	अनु.क. H-(i) (a) में पर्यावरणीय स्वीकृति के पत्र की प्रति संलग्न नहीं की गई है। आपके द्वारा EC application yet to be submitted का लेख किया गया है।	Application संलग्न किया गया है।
7	अनु.क. K-(i) में No लेख है, जबकि अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पराम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अंतर्गत भारत सरकार के पत्र कमांक 11-9/98-FC(pt) दिनांक 02.07.2016 में निर्धारित प्रपत्र में संबधित जिलाध्यक्ष का प्रमाण पत्र सहपत्रों सहित संलग्न किया जाना आवश्यक है।	वन अधिकार अधिनियम 2006 (FRA 2006) का प्रमाणपत्र प्राप्त नही हुवा है। जिलाधिकारी बैतुल को आवेदीत है एवं प्रकियाधिन है। (आवेदन संलग्न किया गया है)
8	अनु.क. L-(i) & (ii) में Not Applicable लेख किया गया है। CA क्यों आवश्यक नही कारण बतायें।	User Agency is Central Govt. PSU, CA land is identified and provide by Forest Dept. Please refer guidelines of Compensatory Afforestation Rule 1.2.3
9	अनु.क. M-2 (iii) में Approval Mining Plan copy not attached	Approval Mining Plan copy सलंग्न किया गया है
10	अनु.क. M-2 (iv) में Approval Mining Plan copy not attached	Approval Mining Plan copy सलंग्न किया गया है
11	अनु.क. M-2 (vii) में KML File खुल नहीं रही है।	KML File खोलकर जॉच कर ली गयी है।
12	अनु.क. M-7.1 (ii) में खनिज परिवहन की विस्तृत योजना संलग्न नहीं की गई है।	इस खदान के कोयले के परिवहन के लिए प्रस्तावित गांधीग्राम भुमिगत खदान (जो खदान की सीमा से लगा हुवा है) के परिवहन का मार्ग का उपयोग किया जायेगा।

यह जानकारी आपकी ओर उचित कार्यवही हेतु प्रेषित।

भवदिय,

मदन कुमार
एरिया प्लानिंग ऑफिसर
एरिया जनरल मैनेजर, पाथाखेड़ा

Area Planning Officer
Pathakhera . Area . W.C.L